[2021] 12 एस. सी. आर. 284

ए. पी. एम. सी. यशवंतपुरा ने अपने सचिव के माध्यम से

बनाम

एम/एस। SELVA FOOODS TRUGH IT 'S MANGE PARTNER अपने साझेदार के माध्यम से

(2021 की सिविल अपील संख्या 7706)

14 दिसंबर, 2021

[आर. सुभाष रेड्डी और संजीव खन्ना, जे. जे.]

कर्नाटक कृषि उपज विपणन (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1966: एस. 65-उत्तरदाता ने कर्नाटक राज्य के बाहर से मसाले खरीदे और आयात करने के बाद उन्हें बेच दिया।

अपीलार्थी के बाजार क्षेत्रों के भीतर संसाधित माल-प्रत्यर्थी पर बाजार शुल्क का अधिरोपण--

आयोजित किया गया: एस का एक सामंजस्यपूर्ण पठन। 65 (2) अधिनियम के दूसरे परंतुक और उसी और खंड (2-ए) (आई. ए.) के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यापारी कृषि उपज का आयात बाहर से करता है।

प्रसंस्करण और बिक्री के उद्देश्य से कर्नाटक राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में राज्य, दूसरे परंतुक की प्रयोज्यता

एस की उप-धारा (2)। 65 अधिनियम में, बाजार शुल्क के उद्ग्रहण को छूट देते हुए, बाहर रखा गया था-धाराओं की उप-धारा (2) का स्पष्टीकरण। 65 अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि कर्नाटक राज्य के बाहर से आयातित कृषि उपज से प्रसंस्कृत वस्तुएं भी अपीलार्थी के बाजार क्षेत्र के भीतर बिक्री पर बाजार शुल्क आकर्षित करती हैं-समिति-उक्त धारा से यह भी स्पष्ट है कि यह आयातक का दायित्व है कि वह खरीदार से बाजार शुल्क वसूल करे और उसे बाजार समिति को भुगतान करे-यह बाजार क्षेत्र के भीतर की बिक्री है जो बाजार शुल्क को आकर्षित करती है, न कि पहली खरीद जो बाजार क्षेत्र के बाहर थी-विशेष रूप से बेची गई वस्तुओं को अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उपज भी अधिसूचित किया जाता है-प्रतिवादी बाजार शुल्क के भुगतान से छूट का दावा करने का हकदार नहीं है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. प्रत्यर्थी अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिभाषित एक व्यापारी है और उसने मसाले खरीदे हैं, जिन्हें कृषि उपज के रूप में अधिसूचित किया जाता है, न कि केवल बाजार क्षेत्रों से। कर्नाटक राज्य लेकिन कर्नाटक राज्य के बाहर से भी। इस तरह के आयात के बाद, वे वस्तुओं को संसाधित करते हैं और बाजार क्षेत्र के भीतर संसाधित वस्तुओं को बेचते हैं। यहां तक कि प्रसंस्कृत वस्तुओं को भी अधिनियम के तहत अनुसूची के अनुसार अधिसूचित किया जाता है। [पैरा 11]

284 ए. पी. एम. सी. यशवंतपुर अपने सचिव वी. के माध्यम से। एम/एस। SELVA FOOODS TRUGH IT 'S MANGE PARTNER अपने साझेदार के माध्यम से

2. अधिनियम की धारा 65, जो कि प्रभार अनुभाग है, को पढ़ने से पता चलता है कि बाजार समिति शुल्क लगाएगी और एकत्र करेगी। कृषि के संबंध में प्रत्येक खरीदार से बाजार शुल्क

बाजार क्षेत्र में ऐसे खरीदार द्वारा खरीदी गई उपज, ऐसी दर पर जो उपनियमों में निर्दिष्ट की जाए। अधिनियम की धारा 65 (2) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, यदि किसी भी कृषि उपज पर राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में उप-धारा (2) के तहत बाजार शुल्क पहले ही लगाया और एकत्र किया जा चुका है और ऐसी कृषि उपज को राज्य के भीतर किसी अन्य बाजार क्षेत्र में संसाधित और बेचा जाता है या राज्य के बाहर निर्यात किया जाता है, तो इसे बाजार शुल्क के शुल्क से छूट दी जाएगी। हालांकि, स्पष्टीकरण को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरे परंतुक की प्रयोज्यता को किसी भी मामले में शामिल नहीं किया गया है।

राज्य के बाहर से आयातित कृषि उत्पाद और

राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में संसाधित और बेचा गया; या कोई अन्य कृषि उत्पाद जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के खाते में या किसी अन्य व्यक्ति के एजेंट के रूप में राज्य के बाहर से राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में प्रसंस्करण या निर्माण के उद्देश्य से आयात किया जाता है या आयात किया जाता है, सिवाय अपने घरेलू उपभोग के। इसके अलावा, धारा (2 ए) (आई. ए.) के अनुसार, यदि किसी आयातक द्वारा उपज को खरीदार को बेचा जाता है, तो आयातक को खरीदार से बाजार शुल्क का भुगतान करना होगा और

समिति को समान भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम की धारा 65 (2), इसके दूसरे परंतुक, और उसी के स्पष्टीकरण और खंड (2-ए) (आई. ए.) के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई व्यापारी राज्य के बाहर से किसी भी राज्य में कृषि उपज का आयात करता है। प्रसंस्करण और बिक्री के उद्देश्य से कर्नाटक राज्य के भीतर बाजार क्षेत्र, अधिनियम की धारा 65 की उप धारा (2) के लिए दूसरे परंतुक की प्रयोज्यता को बाहर रखा गया है। अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण से यह स्पष्ट होता है कि

स्पष्ट करें कि कर्नाटक राज्य के बाहर से आयातित कृषि उपज से संसाधित वस्तुएं भी अपीलार्थी के बाजार क्षेत्र के भीतर बिक्री पर बाजार शुल्क आकर्षित करती हैं-बाजार समिति। उपरोक्त धारा से यह भी स्पष्ट है कि यह आयातक का दायित्व है कि वह खरीदार से बाजार शुल्क वसूल करे और उसे बाजार समिति को भुगतान करे।

[पैरा 12] [291-ई-एच; 292-ए-डी] [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. यह ऐसा मामला नहीं है जहां प्रत्यर्थी बिक्री से इनकार कर रहा है

प्रसंस्करण के बाद अपीलार्थी के बाजार क्षेत्र के भीतर आयातित कृषि उपज। इस मामले के दृष्टिकोण से यह नहीं है बाजार शुल्क के भुगतान से छूट के लिए हकदार। उसी समय यदि कोई केवल अधिसूचित कृषि उपज का आयात करता है

सफाई और प्रसंस्करण के उद्देश्य से राज्य के बाहर

बाजार क्षेत्र के भीतर प्रसंस्कृत उपज को बेचे बिना बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जहाँ तक इस मामले में आयात के बाद बाजार क्षेत्र के भीतर बिक्री के तथ्य पर विवाद किए बिना, प्रतिवादी ने केवल इस आधार पर कार्यवाही का बचाव किया है कि एक बार कृषि उपज को संसाधित करने के बाद यह बाजार शुल्क को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह बाजार क्षेत्र के भीतर की बिक्री है जो बाजार शुल्क को आकर्षित करती है, न कि पहली खरीद जो बाजार क्षेत्र के बाहर थी। विशेष रूप से बेची जाने वाली वस्तुओं को अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उपज के रूप में भी अधिसूचित किया जाता है। अनुसूची के तहत वस्तु की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। [पैरा 15] [292-एच; 293-ए-सी]

जी. गिरिधर प्रभु और अन्य बनाम कृषि उपज

बाजार समिति (2001) 3 एस. सी. सी. 405: [2001] 2

एससीआर 329; गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और एक अन्य

वी. उत्तराखंड राज्य और अन्य (2016) 3 एस. सी. सी. 601

: [2015] 12 एससीआर 304; आईटीसी लिमिटेड बनाम। कर्नाटक राज्य

और अन्य 2005 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 86: 2005 एआईएचसी

2950 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 2 एससीआर 329

संदर्भित किया गया है

पारस 9,13

पैरा 10,14

[2015] 12 एससीआर 304

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 7706

2021 से।

उच्च न्यायालय के 11.01.2013 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2011 के डब्ल्यू. ए. No.18000 में बैंगलोर में कर्नाटक का।

डॉ. नंदा किशोर, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

हारिस बीरन, मुश्ताक सलीम, उस्मान गनी खान, अजहर असीस,

आनंद बी. मेनन, राधा श्याम जेना, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

ए. पी. एम. सी. यशवंतपुर अपने सचिव वी. के माध्यम से। एम/एस। SELVA FOOODS TRUGH IT 'S MANGE PARTNER अपने साझेदार के माध्यम से

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 2011 की रिट अपील No.18000 में पारित दिनांक 11.01.2013 के निर्णय और आदेश से व्यथित है, जिसमें प्रतिवादी द्वारा दायर 22.08.2011 पर 2009 के W. P. No.11816 में रिट याचिका को अनुमति देने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करके अपीलार्थी द्वारा दायर अंतर-न्यायालय अपील को खारिज कर दिया गया है।

3. इसमें प्रतिवादी एक व्यापारी है जो मेसर्स के नाम और शैली में साफ और संसाधित मसालों को बेचने के व्यवसाय में लगा हुआ है। अपीलार्थी के बाजार क्षेत्र के भीतर सेल्वा फूड्स। वे मसाले खरीदते हैं जैसे राज्य के भीतर विभिन्न कृषि बाजार समितियों के बाजार क्षेत्रों से हल्दी, मिर्च, धनिया, मेथी और सरसों के बीज आदि।

कर्नाटक और वे राज्य के बाहर से भी ऐसे मसालों का आयात करते हैं। इस तरह के कृषि उत्पादों का आयात करने के बाद, वे सफाई करते हैं और

4. वर्ष 2008 के दौरान, बाजार समिति के अधिकारियों ने प्रत्यर्थी के अभिलेखों का निरीक्षण किया और पाया कि प्रत्यर्थी ने कर्नाटक राज्य के बाहर से मेथी और सरसों के बीज खरीदे थे और आयात करने के बाद उन्होंने अपीलार्थी के बाजार क्षेत्र के भीतर प्रसंस्कृत वस्तुओं को बेचा और बाजार शुल्क का भुगतान नहीं किया। जब पहली बार, अपीलार्थी द्वारा 12.08.2008 दिनांकित आदेश पारित किया गया था- एपीएमसी ने प्रतिवादी का लाइसेंस इस आधार पर रद्द कर दिया कि Rs.28,422/- का बाजार शुल्क और जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जब 2008 की रिट याचिका No.11211 में इस तरह के आदेश पर सवाल उठाया गया था, तो उच्च न्यायालय ने इस आधार पर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया था कि प्रतिवादी को उचित अवसर नहीं दिया गया था और मामले को नए सिरे से वापस भेज दिया गया था। विचार, अपीलार्थी के लिए। इसके अलावा यह देखा गया कि Rs.28422/- की राशि जो अंतरिम आदेश के अनुसार भुगतान की गई थी, प्राधिकरण के निर्णय के अधीन होगी।

5. बाद में अवसर देने के बाद, दिनांकित आदेश 24.03.2009

पहले की मांग की पुष्टि करते हुए पारित किया गया था और 266/- रुपये की कुल मांग में से भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इस तरह की मांग पर सवाल उठाते हुए 2009 के डब्ल्यू. पी. में उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई है, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता बाजार समिति [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2011 के रिट अपील No.18000 में अंतर-अदालत अपील को प्राथमिकता दी है जिसे विवादित निर्णय और दिनांक 11.01.2013 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है। इसके विपरीत इस अपील को प्राथमिकता दी जाती है। 6. हमने अपीलार्थी के विद्वान वकील डॉ. नंदा किशोर और प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री हैरिस बीरन को सुना है।

7. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हमने विवादित निर्णय और रिकॉर्ड पर रखी गई अन्य सामग्री का अध्ययन किया है।

इससे पहले कि हम दोनों पक्षों के प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटें, हम 1966 के कर्नाटक कृषि उपज विपणन (विनियमन और विकास) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना उचित समझते हैं। अधिनियम की धारा 65 निम्नानुसार है:

" 65. बाजार शुल्क का शुल्क:

(2) बाजार समिति ऐसे लोगों द्वारा खरीदी गई कृषि उपज के संबंध में प्रत्येक खरीदार से बाजार शुल्क लगाएगी और एकत्र करेगी।

पशुधन जहाँ बाजार शुल्क पाँच रुपये से अधिक नहीं होगा। भेड़ या बकरी के अलावा अन्य मवेशियों के प्रति सिर, और भेड़ या बकरी के मामले में ऐसा शुल्क प्रति सिर एक रुपये से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते कि बाजार यार्ड के भीतर कृषि उपज का व्यवसाय करने वाली किसी भी सहकारी समिति के मामले में, बाजार शुल्क होगा - बाजार के अस्सी प्रतिशत की दर से लगाया और एकत्र किया गया

इस अधिनियम के तहत देय शुल्क:

बशर्ते कि, यदि किसी कृषि उपज पर राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में उप-धारा (2) के तहत पहले ही बाजार शुल्क लगाया और एकत्र किया जा चुका है और ऐसी कृषि उपज को राज्य के भीतर किसी अन्य बाजार क्षेत्र में संसाधित और बेचा जाता है या

राज्य के बाहर निर्यात किए जाने पर इसे शुल्क से छूट दी जाएगी -

बाजार शुल्क:

स्पष्टीकरण। - इस परंतुक में कुछ भी लागू नहीं होगा -

((i) बाहर से आयातित कोई भी प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद।

राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में राज्य और बेचा जाता है; या

((ii) कोई भी कृषि उत्पाद जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के खाते में या किसी अन्य आई. सी. के लिए एक एजेंट के रूप में आयात किया जाता है या आयात किया जाता है।

एम/एस। सेल्वा डी. एस. अपने साझेदार का प्रबंधन कर रही हैं [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

व्यक्ति, राज्य के बाहर से राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में प्रसंस्करण या निर्माण के उद्देश्य से, अपने स्वयं के घरेलू उपभोग को छोड़कर।

बशर्ते कि लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारी द्वारा अधिसूचित की सीधी खरीद के लिए स्थापित स्पॉट एक्सचेंज में खरीदार के मामले में

कृषि उपज या अनुबंध कृषि प्रायोजक जो अनुबंध कृषि उत्पादक से खरीदता है, बाजार शुल्क लगाया जाएगा और एकत्र किया जाएगा।

इस अधिनियम के तहत देय बाजार शुल्क के सत्तर प्रतिशत की दर से:

बशर्ते कि अधिनियम की धारा 72-ए के तहत स्थापित किसी भी निजी बाजार के मामले में, इस अधिनियम के तहत देय बाजार शुल्क के तैंतीस प्रतिशत की दर से बाजार शुल्क लगाया और एकत्र किया जाएगा, बशर्ते कि फूलों, फलों और सब्जियों पर कोई बाजार शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसके बजाय बाजार समिति उपयोगकर्ता को एकत्र कर सकती है।

((i) यदि किसी आयातक द्वारा उत्पाद को खरीदार को बेचा जाता है, तो आयातक को खरीदार से बाजार शुल्क का भुगतान करना होगा और वह समिति को उसी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ((ख) यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उपज खरीदता है तो व्यापारी समिति को बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

((ग) यदि किसी व्यापारी द्वारा किसी अन्य व्यापारी से उपज खरीदी जाती है, तो उपज बेचने वाले व्यापारी को इसे खरीदार से प्राप्त होगा और वह समिति को बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा; और

((iv) ऐसी उपज की बिक्री के किसी अन्य मामले में, खरीदार समिति को बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2 - बी) उप-धारा (2-ए) के खंड (i), (ia), (ii) या (iii) के तहत देय बाजार शुल्क का भुगतान बाजार समिति को किया जाएगा। ऐसा समय जो उपनियमों में निर्दिष्ट किया जाए। "[2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील डॉ. नंदा किशोर ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (2) और (2-ए) के अनुसार, कृषि उपज पर बाजार शुल्क देय है, जिसे राज्य के बाहर से एक आयातक के रूप में खरीदा जाता है और बाजार समिति के क्षेत्र के भीतर प्रसंस्कृत वस्तुओं को बेचा जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि कृषि उत्पाद, जो याचिका की विषय वस्तु है, एक अनुसूचित वस्तु है, जैसे कि प्रसंस्करण के बाद बाजार शुल्क ऐसे प्रसंस्कृत सामानों पर लगाया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 65 के अनुसार बाजार समिति ऐसे खरीदार द्वारा बाजार क्षेत्र में खरीदी गई कृषि उपज के संबंध में प्रत्येक खरीदार से बाजार शुल्क लगाएगी और एकत्र करेगी।

दर जैसा कि उपनियमों में निर्दिष्ट किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 65 (2) के दूसरे परंतुक के अनुसार, यदि कृषि उपज पर राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में उप-धारा (2) के तहत बाजार शुल्क पहले ही लगाया और एकत्र किया जा चुका है और ऐसी कृषि उपज को राज्य के भीतर किसी अन्य बाजार क्षेत्र में संसाधित और बेचा जाता है या राज्य के बाहर निर्यात किया

जाता है, तो इसे बाजार शुल्क के शुल्क से छूट दी जाती है। हालांकि, स्पष्टीकरण को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि कोई भी कृषि उपज,

किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के खाते में या राज्य के बाहर से किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक एजेंट के रूप में राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में प्रसंस्करण या निर्माण के उद्देश्य से आयात किया गया या आयात किया गया, अपने स्वयं के घरेलू उपभोग को छोड़कर, बाजार शुल्क के लिए उत्तरदायी है।

9. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 65 (2) के दूसरे प्रावधान के तहत छूट, आयातकों के लिए, बाजार क्षेत्र के भीतर संसाधित वस्तुओं और बिक्री पर स्पष्टीकरण के अनुसार लागू नहीं होती है। यह आगे है

विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, गलत है और अधिनियम की धारा 65 के सादे पठन के विपरीत है। विद्वान वकील ने जी. गिरिधर प्रभु और अन्य बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा रखा। कृषि उपज बाजार समिति 1.

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से पेश विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया है कि चूंकि प्रत्यर्थी ने

1 (2001) 3 एस. सी. सी. 405 ए. पी. एम. सी. यशवंतपुरा अपने सचिव बनाम. एम/एस। सेल्वा फूड अपने साझेदार के प्रबंधन के माध्यम से [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

कर्नाटक राज्य के बाहर से कृषि उपज खरीदी गई जब भी इस तरह की उपज को अपीलार्थी के बाजार क्षेत्र के भीतर संसाधित किया जाता है और बेचा जाता है, तो वे बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। अधिनियम में किए गए संशोधनों (2004 के अधिनियम 22 द्वारा) का उल्लेख करते हुए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम की धारा 65 (2) प्रभार अनुभाग है और उक्त प्रावधान को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पर बाजार शुल्क एकत्र नहीं किया जा सकता है।

उत्पाद जिसे प्रत्यर्थी ने आयातक के रूप में राज्य के बाहर से खरीदा है और अपीलार्थी बाजार के क्षेत्र के भीतर संसाधित किया है समिति। अपनी दलीलों के समर्थन में, विद्वान वकील ने गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और अन्य बनाम के मामले में निर्णय पर भरोसा रखा है। उत्तराखंड राज्य और अन्य 2 और आई. टी. सी. लिमिटेड के मामले में भी निर्णय, v. कर्नाटक राज्य और अन्य 3.

11. इस मामले में, यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी अधिनियम के प्रावधानों के तहत परिभाषित एक व्यापारी है और उसने मसाले खरीदे हैं, जो

न केवल कर्नाटक राज्य के भीतर बल्कि कर्नाटक राज्य के बाहर के बाजार क्षेत्रों से भी कृषि उपज के रूप में अधिसूचित किए जाते हैं। इस तरह के आयात के बाद, वे वस्तुओं को संसाधित करते हैं और बाजार क्षेत्र के भीतर संसाधित वस्तुओं को बेचते हैं। यहां तक कि प्रसंस्कृत वस्तुओं को भी अधिनियम के तहत अनुसूची के अनुसार अधिसूचित किया जाता है। 12. अधिनियम की धारा 65 को पढ़ने पर, जो कि प्रभार अनुभाग है, यह स्पष्ट है कि बाजार समिति बाजार क्षेत्र में ऐसे खरीदार द्वारा खरीदी गई कृषि उपज के संबंध में प्रत्येक खरीदार से बाजार शुल्क उस दर पर लगाएगी और एकत्र करेगी जो उपनियमों में निर्दिष्ट की जाए। अधिनियम की धारा 65 (2) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, यदि किसी भी कृषि उपज पर बाजार शुल्क पहले ही लगाया और एकत्र किया जा चुका है।

उप-धारा (2) के तहत राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में और ऐसी कृषि उपज को राज्य के भीतर किसी अन्य बाजार क्षेत्र में संसाधित और बेचा जाता है।

राज्य या राज्य के बाहर निर्यात किए जाने पर इसे बाजार शुल्क से छूट दी जाएगी। हालांकि, स्पष्टीकरण को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि दूसरे परंतुक की प्रयोज्यता राज्य के बाहर से आयातित और राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में संसाधित और बेचे जाने वाले किसी भी कृषि उत्पाद पर लागू नहीं होती है; या किसी अन्य कृषि उत्पाद का आयात या आयात किसी व्यक्ति द्वारा अपने खाते में या किसी अन्य व्यक्ति के एजेंट के रूप में, राज्य के बाहर से राज्य के भीतर किसी भी बाजार क्षेत्र में प्रसंस्करण या उत्पादन के उद्देश्य से किया जाता है, सिवाय इसके कि

अपने घरेलू उपभोग के लिए। इसके अलावा धारा (2-ए) (आई. ए.) के अनुसार,

2 (2016) 3 एस. सी. सी. 601 3 2005 एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 86:

2005

एआईएचसी 2950 [2021] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. जी. गिरिधर प्रभु और Ors.[1] के मामले में कर्नाटक कृषि उपज विपणन विनियमन के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए अधिनियम, 1966 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि कोई व्यक्ति जो कच्चे काजू की खरीद करता है, फिर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के उद्देश्य से निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से काजू की गुठली निकालता है, उसे धारा 48 की उप-धारा (2) के अर्थ के भीतर एक व्यापारी या अधिनियम की धारा 2 (14-ए) के तहत आयातक माना जाता है, इसलिए वह अपने खरीदारों से बाजार शुल्क एकत्र करने और विपणन समिति को ऐसे शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

14. उत्तराखंड कृषि उपज विपणन के प्रावधानों पर विचार करते हुए गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड और Anr.[2]while के मामले में

(विकास और विनियमन) अधिनियम, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जो कृषि उपज बाजार क्षेत्र में बिक्री के उद्देश्य से नहीं, बल्कि केवल निर्माण या आगे की प्रसंस्करण गतिविधियों के उद्देश्य से लाई जाती है, उसे बाजार शुल्क के अधीन नहीं किया जा सकता है। इसी तरह, आई. टी. सी. लिमिटेड 3 के मामले में, कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्णय दिया है कि केवल आयातित अधिसूचित कृषि उपज के भंडारण और प्रसंस्करण की गतिविधि, जो बाजार क्षेत्र में आयात की जाती हैं, बाजार शुल्क का भुगतान आकर्षित नहीं करती हैं।

15. हम उपरोक्त निर्णयों में भी इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं लेकिन

प्रत्यर्थी अधिनियम की धारा 65 की उप-धारा (2) के तहत परिभाषित एक खरीदार है और हम अधिनियम की धारा 65 (2) के दूसरे परंतुक और स्पष्टीकरण की अनदेखी नहीं कर सकते हैं।

यह ऐसा मामला नहीं है जहां ए. पी. एम. सी. अपने सचिव वी. के माध्यम से यशवंतपुर से संपर्क करती है। एम/एस। सेल्वा फूड अपने साझेदार के प्रबंधन के माध्यम से [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

प्रत्यर्थी प्रसंस्करण के बाद अपीलार्थी के बाजार क्षेत्र के भीतर आयातित कृषि उपज की बिक्री से इनकार कर रहा है। इस मामले को देखते हुए यह बाजार शुल्क के भुगतान से छूट का हकदार नहीं है। साथ ही हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई बाजार क्षेत्र के भीतर प्रसंस्कृत उपज को बेचे बिना सफाई और प्रसंस्करण के उद्देश्य से राज्य के बाहर से केवल अधिसूचित कृषि उपज का आयात करता है तो वह बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। जहाँ तक इस मामले में आयात के बाद बाजार क्षेत्र के भीतर बिक्री के तथ्य पर विवाद किए बिना, प्रतिवादी ने केवल इस आधार पर कार्यवाही का बचाव किया है कि एक बार कृषि उपज को संसाधित करने के बाद यह बाजार शुल्क को आकर्षित नहीं करेगा क्योंकि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह बाजार क्षेत्र के भीतर की बिक्री है जो बाजार शुल्क को आकर्षित करती है, न कि पहली खरीद जो बाजार क्षेत्र के बाहर थी। विशेष रूप से बेचे जाने वाले सामान को भी अधिसूचित किया जाता है।

अनुसूची में निर्दिष्ट कृषि उपज। अनुसूची के तहत वस्तु की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है।

16. उपरोक्त कारणों से, अपील की अनुमति दी जाती है। डब्ल्यू. ए. No.18000/2011 दिनांक 11.01.2013 में पारित विवादित निर्णय और आदेश है

एक तरफ रख दें। नतीजतन, 2009 की रिट याचिका No.11816 खारिज हो जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं। देविका गुजराल

अपील

की अनुमति दी गई।